

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक: एफ.1(ए)102/जि.स्था./पार्ट-12/संस्था/2018/ 371 दिनांक: 31.08.2018

—:आदेश:—


इस विभाग के निम्नांकित कार्मिकों का इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है:—

क. स.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	श्री विमेश कुमार सोरल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सा0बी0नि0 जयपुर	बारां
2.	श्री रजनीश कुमार शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सचिवालय जयपुर	बारां
3.	श्री दुर्गाप्रसाद मीणा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	बून्दी	कोटा
4.	श्री गोपाल लाल मीणा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	कोटा	बून्दी
5.	श्री भंवर लाल रैगर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	चूरु	सीकर
6.	श्री मनमोहन कुमावत	वरिष्ठ सहायक	नागौर	मुख्यालय जयपुर
7.	श्री शंभुलाल खींची	वरिष्ठ सहायक	जोधपुर शहर	बाडमेर
8.	श्री धर्मन्द्र कुमार कुमावत	कनिष्ठ सहायक	दौसा	झुन्झुनू
9.	श्री भूपेन्द्र फुलवारी	कनिष्ठ सहायक	भीलवाडा	ब्यावर
10.	श्रीमती अंजली अरोडा	कनिष्ठ सहायक	जयपुर शहर	सा0बी0नि0जयपुर
11.	श्री महेश प्रजापत	कनिष्ठ सहायक	सा0बी0नि0 जयपुर	जयपुर शहर
12.	सुश्री प्रियंका अग्रवाल	कनिष्ठ सहायक	भरतपुर	जयपुर ग्रामीण

क्रम संख्या 1 से 6, 8 से 12 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन इनकी स्वयं की प्रार्थना पर किये जाने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार योगकाल/यात्राभत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन इस शर्त के अधीन किये जाते हैं कि यदि उक्त कार्मिकों में से किसी कार्मिक की ड्यूटी फोटोयुक्त मतदान सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगी हुई है तो उसे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, (अनुभाग-1) की आज्ञा क्रमांक प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 31.07.2018 के तहत नवीन पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा एवं इस आशय की सूचना निदेशालय को दी जायेगी ।

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


 (सुनील कुमार शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
 राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर ।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा निधि) वित्त भवन, जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग संभाग कार्यालय
5. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
6. संयुक्त निदेशक (संस्थापन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर ।
7. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग, जिला कार्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब संबंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करें एवम् कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
8. सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. सम्बन्धित कार्मिकगण ।
10. कैडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/सेवापुस्तिका लिपिक ।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

20

(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर